



भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-181/2019-20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
11.01.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 17.02.2020 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 17.02.2020 को उपस्थापित करें।</p>	
17.02.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक-89, दिनांक-13.02.2020 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक-14.02.2020 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्रीमति नानिका बोदरा, पिता-दुका हो, पति-स्व० भिमराम बोदरा, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-सिलफोड़ी, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागापुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी चक्रधरपुर के प्रतिवेदानुसार आवेदित भूमि मौजा- नगरपालिका चक्रधरपुर वार्ड नं०-12, थाना नं०-68, थाना-चक्रधरपुर, खाता नं०-03, खेसरा नं०-190/A, रकबा-0.06 ए० भूमि क्रेता श्रीमति ममिता सामाड, पति-शशिभूषण बारी, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-बोड़ादोरो, थाना-चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक श्रीमति नानिका बोदरा, पिता-दुका हो, पति-स्व० भिमराम बोदरा, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-सिलफोड़ी, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता का थाना-चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति हो (अ.ज.जा.), समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकबा 0.08.750 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता श्रीमति नानिका बोदरा, पिता-दुका हो, पति-स्व० भिमराम बोदरा, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-सिलफोड़ी, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम उक्त भूमि 12,00,000/- (बारह लाख) रुपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के प्रतिवेदानुसार प्रश्नगत भूमि चक्रधरपुर नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आवासीय भूमि है। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूलक अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराये।</p>	<p style="text-align: right;">  14-1-20 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। </p> <p style="text-align: right;">  17.2.20 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। </p>